



परिपत्रसं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/106/5/2022 Cir No .IRDAI/ACT/CIR/SLM/106/5/2022

दिनांकः30.05.2022 Date: 30.05.2022

प्रति / TO, सभी जीवन बीमाकर्ता To all life insurers

विषयः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए शोधनक्षमता मार्जिन Subject: Solvency margin for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

- 1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है।
- 2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए शोधनक्षमता संबंधी पूँजीगत अपेक्षाओं में छूट की माँग करते हुए जीवन बीमाकर्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों की जाँच करने के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पूँजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने एवं देश में बीमा व्यापन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, नीचे पैरा 3 के अनुसार शोधनक्षमता कारकों में संशोधन किया जाए।
- 3. पीएमजेजेबीवाई के लिए, आईआरडीएआई (बीमांकिक रिपोर्ट और जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016 के फार्म केटी-1 के अनुसार अपेक्षित शोधनक्षमता मार्जिन के परिकलन के लिए दूसरा कारक 0.10% से संशोधित कर 0.05% कर दिया गया है।
- 4. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
- 1. This circular is issued under section 14(2)(e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
- 2. On examination of representations received from life insurers seeking relaxation in the solvency capital requirements for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), it has been decided to revise the solvency factors as per para 3 below, with the objective of efficient capital utilization for popularizing this scheme and increasing the insurance penetration in the country.
- 3. For PMJJBY, the second factor for calculation of Required Solvency Margin as per Form KT-1 of IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 is revised from 0.10% to 0.05%.
- 4. This circular shall come into force with immediate effect

एरापी

(एस.पी. चक्रवर्ती / S P Chakraborty) विभाग-प्रमुख (बीमांकन) / HOD (Actuarial)